न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं.161/2018 (225 आरटीए) मोहनराम बनाम भीखाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00360)

मोहनराम पुत्र धुड़ाराम जाति जाट, निवासी ग्राम बेरड़ों का बास, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

.... अपीलांट

बनाम

1 भीखाराम पुत्र श्री तुलछाराम,
2 मोडाराम पुत्र तुलछाराम,
3 दीपाराम पुत्र तुलछाराम,
4 भंवरलाल पुत्र तुलछाराम,
5 मांगीलाल पुत्र धुड़ाराम,
6 श्रीमती मीरा पत्नी धुड़ाराम सभी जातियान जाट, निवासीगण–ग्राम बेरड़ों का बास तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
7 तहसीलदार ओसियां जिला`जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 26.06.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 381ए/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल।
2 रेस्पो सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।
3 रेस्पो. सं. 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 22.11.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर ओसियां के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 381ए/2017 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अपीलांट व अन्य रेस्पों. के विरुद्ध प्रस्तुत किया। जिसके साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बेरड़ों का बास तहसील ओसियां जिला जोधपुर के खसरा नं. 230 रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 52 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 54 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा आई हुई है। जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 5 से 6 का आधा हिस्सा व प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 का आधा हिस्सा है। पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा हो रखा है जिसके तहत खसरा नं. 230/1 में अपीलांट के पिता धुड़ाराम के नाम से विद्युत संबंध लिया गया तथा उनके देहांत के पश्चात अपीलार्थी व उसके भाई के नाम विद्युत सम्बंध हस्तांतरित कर दिया गया। विद्युत कनेक्शन सहमति से लिया गया था तथा जिसमें रेस्पो. सं. 1 से 4 द्वारा 6,00,000/- अक्षरे छः लाख रु. खर्च किये गये। भूमि में आधा-आधा हिस्सा है। राजस्व रिकार्ड में रेस्पो. सं. 1 से 4 के बंट में खसरा नं. 230, 52 व 54 का बाई मिट्स व बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जावे तथा ट्यूब वेल में आधा हिस्सा दिलाया जावे तथा साथ में 212 काश्तकारी अधिनयिम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व अंत में वाद के लंबित रहने तक उपरोक्त खसरान की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट्स को नोटिस जारी किये गए। बाद तामील दिनांक 27.11.2017 को अधिवक्ता द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई तथा आगामी पेशी दिनांक 11.12.2017 मुकर्रर की गई। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 5.3.2018 से दिनांक 07.05.2018 को नियत की गई तथा दिनांक 07.05.2018 को पेशी पर नहीं लेकर पत्रावली को सीधे ही लोक अदालत कैंप में दिनांक 26.06.2018 को रखते हुए वाद के लंबित रहने तक खसरा नं. 230 व 231/1 के मौके व राजस्ब रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश पारित किया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। अपीलांट व रेस्पोडेंट्स खातेदार तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। पत्रावली दिनांक 07.05.2018 को नियत थी। लेकिन नियत तारीख पेशी पर पत्रावली पेशी पर ली ही नहीं गई तथा सीधे ही दिनांक 26.06.2018 को पेशी पर लेते हुए पत्रावली का निस्तारण कर दिया। जिस कारण अपीलांट को प्रकरण में जवाब व सुनवाई का अवसर नहीं मिल सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का लोक अदालत कैंप में निस्तारण किया गया है जबकि प्रकरण में किसी तरह का कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ है इसलिये प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत के प्रावधानों के विपरीत निस्तारण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओ पर विचारण व उनका निस्तारण किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है जो आलोच्य आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलांट को जवाब का अवसर नहीं मिल सका था। कैंप कोर्ट में जवाब बंद कर दिया गया। पक्षकारों के मध्य दिनांक 31.03.1983 को श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व कैंप घेवड़ा में आपसी सहमति से बंटवाड़ा हो गया था जिसके तहत खसरा नं. 230 धुड़ाराम जी के बंट में व खसरा नं. 230/1 तुलछाराम जी के बंट में रखा गया था इसलिये पक्षकारों के मध्य एक बार बंटवाड़ा हो जाने से दुबारा बंटवाड़े हेतु वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। रेस्पो. सं. 1 से 4 ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का बिंदु साबित नहीं कर पाया है। उपरोक्त कारणों अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिये धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पेश किया है। अपीलांट के अधिवक्ता को जानकारी के बिना ही तथा नियत तारीख से अलग ले जाकर पत्रावली का बिना तारीख पेशी के ही दिनांक 26.06.2018 को निस्तारण कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से आगामी तारीख पेशी के बारे में पता किया तो अधिवक्ता द्वारा पता करके बताया गया कि पत्रावली का कैंप में निस्तारण किया जा चुका है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 23.08.2018 को नकल प्राप्त हुई। जिसे पढ़ने पर प्रथम बार आलोच्य आदेश की जानकारी हुई।

अतः जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद पेश की गई है। अतः आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुये बिलंब को कंडोन कर प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि अपीलांट की ओर प्रकरण में उनके अधिवक्ता ने अण्डरटेकिंग दी थी। तामील हो गई थी तथा रेस्पोडेंट्स की ओर अन्य खसरों को शामिल करते हुए दावा बंटवारा व अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। राजस्व कैंप में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने पक्षपात पूर्वक कार्यवाही करते हुए हमारे दावे में कोई कार्यवाही नहीं की व अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दावे में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जब राजस्व कैंप में इस पर पीठासीन अधिकारी को इस पक्षपात पूर्ण कार्यवाही के बारे में कहा गया तो उन्होंने केवल हमारे दावे के साथ प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश जारी किया। यदि पीठासीन अधिकारी दोनों ही दावों में प्राथमिक डिक्री जारी करते तो ही कार्यवाही निष्पक्ष होती। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल स्थगन आदेश पारित किया गया है जिसको अपीलांट की अपील से निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं बनता है। अतः अपील खारिज करते हुए इस प्रकरण के दावे में प्राथमिक डिक्री जारी नहीं करने बाबत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में तथ्यों व परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रस्तुत अपील पेश करने में बिलंब किया गया है। अपीलांट ने अपील पेश करने में हुए इस बिलंब को कंडोन करने के लिए धारा–5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें कथन किया है कि पत्रावली का बिना तारीख पेशी के ही दिनांक 26.06.2018 को निस्तारण कर दिया गया। तथा यह भी कथन किया है कि जब अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से आगामी तारीख पेशी के बारे में पता किया गया तो अधिवक्ता द्वारा पता करके बताया गया कि पत्रावली का कैंप में निस्तारण किया जा चुका है। जिसके बाद अपीलांट ने नकल का आवेदन करना बताया व अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 23.08.2018 को होना बताया गया है। इसलिये अपील पेश करने में

हुए बिलंब को माफ करते हुए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। इस तथ्य की पुष्ठि के लिये अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह तो ज्ञात होता है कि राजीनामा के बिना पत्रावली का निर्णय लोक अदालत शिविर में किया है। परंतु अपीलांट स्वयं शिविर में उपस्थित था जिसकी पुष्ठि दिनांक 26.06.2018 की आदेशिका पर अपीलांट मोहनराम व रेस्पोडेंट भीखाराम व दीपाराम की उपस्थिति दर्ज होने से होती है। अतः अपीलांट का यह कथन विश्वसनीय नहीं है कि अपीलांट मोहनराम को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। बल्कि शिविर में अपीलांट की उपस्थिति होने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 26.06.2018 को ही हो चुकी थी, अपीलांट ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को छुपाया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील पेश करने में हुए बिलंब का कारण विश्वसनीय नहीं है तथा अपीलांट ने तथ्यों को छुपाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः अपीलांट का धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिंदु पर ही खारिज योग्य पाई जाती है।

9 अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06. 2018 यथावत रखा जाता है।

22/11/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 22.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/11/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर